न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 60/2021

निर्णय दिनांकः19.01.2023

ऑनलाईन नंबर 2021/173

गणेशाराम पुत्र जीवणराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गा बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–वादी–

बनाम

1. दयानन्द पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी फरटिया केहर तहसील लुहारू जिला भिवानी राज्य हरियाणा
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी फरटिया केहर तहसील लुहारू जिला भिवानी राज्य हरियाणा
3. विजय कुमार पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी फरटिया केहर तहसील लुहारू जिला भिवानी राज्य हरियाणा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक वादी
2. श्री जगदीश बाना अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 5

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 13 तादादी 10.12 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। उक्त खेत में वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादी का अपने हिस्से के अनुसार कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। यह है कि मौका पर वादगत खेत विभाजित है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, मौका पर वादी का वादगत खेत के दक्षिण तरफ का हिस्सा पर कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। वादी वादगत खेत के उतरी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत खेत में वादी के दक्षिण तरफ के हिस्से जिस पर वादी का कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है, उक्त हिस्से के आसे–पासे निम्न प्रकार से है :–

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
दयानन्द वगैरह	गिरधारी मेघवाल	सुगनाराम	सत्यनारायण जोगी

वादगत खेत का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादगत खेत की खातेदारी संयुक्त चली आ रही है। खातेदारी संयुक्त होने से वादी को अपने हिस्सा की भूमि पर विद्युत कनेक्शन लेने, सुधार कार्य करवाने में परेशानियां पैदा हो रही है। वादी वादगत खेत की खातेदारी संयुक्त होने के कारण [illegible]िक अधिकारों से वंचित हो रहा है। वादगत खेत मौका पर [illegible]कॉर्ड में खातेदारी संयुक्त चली आ रही है। वादी ने वाद[illegible] 1/2 हिस्सा भूमि को [illegible] कार्य कर उपजाऊ बनाया है। वादी वादगत खेत का [illegible]जन करवाकर अपने हि[illegible] कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है, इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 11:34:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

से दिनांक 04.07.2021 को निवेदन किया कि वादगत खेत का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार व मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार आपसी सहमति से विधिवत विभाजन करवाते है, परन्तु प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया। वादी को धमकी दी कि हम आपको वादगत खेत काश्त नहीं करने देंगे और आपके हिस्से को हमारे हिस्से में मिला लेंगे व आपके हिस्से की भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर देंगे, इसलिए वादी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा व विभाजन के अनुतोष का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादी वादगत खेत का रिकॉर्डेड खातेदार है, जिसमें वादी का अपने हिस्सा भूमि पर कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग है, इसलिए वादी को उक्त दावा प्रस्तुत करने का वादाधिकार प्राप्त है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादगत खेत का आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने से इन्कार करने व वादी हिस्से को खुर्द–बुर्द करने, वादी को बेदखल करने, काश्त नहीं करने की धमकी दिनांक 04.07.2021 को दी है, इसलिए वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वादी का वादगत खेत में 1/2 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी वादगत खेत का खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना खाता अलग दर्ज करवाना चाहता है एवं अलग ही लगान कायम करवाना चाहता है। वादी वादगत खेत में स्थित अपने 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि का मौका पर चली आ रही है, वादी कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग के आधार पर खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी ने उक्त दावा विभाजन के अनुतोष का प्रस्तुत किया है, प्रतिवादी संख्या 4 भू–स्वामी है व जिनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में संधारण किया जाता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. में दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी के हिस्से भूमि पर कब्जा कर उसे खुर्द–बुर्द करने, बेदखल करने व वादी के हिस्से को विक्रय, बैय करने पर आमादा है, इसलिए वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण वादी द्वारा धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नोटिस अनिवार्यता की छूट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से दावा श्रीमान्‌जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। दावा हर प्रकार से अन्दर मियाद है व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि खेत खसरा नम्बर 13 तादादी 10.1200 हैक्टेयर रोही मौजा जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादी का 1/2 हिस्सा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रिकॉर्ड में अंकन किया जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 4 को दिया जावे और अलग से लगान कायम किया जावे।

(ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि खेत खसरा नम्बर 13 तादादी 10.12 हैक्टेयर रोही मौजा जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित वादी के 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी के कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग में दखल अन्दाजी न करें, वादी को बेदखल नहीं करें, वादगत खेत को बिना विभाजन करवाये विक्रय, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें तथा ऐसा कृत्य या अपकृत्य नहीं करें व ना ही किसी से करवायें जिससे वादी के वैद्य अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(ग) कि दावा का समस्त हर्जा–खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 11:34:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावे तो वह भी आज्ञा फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के उक्त वाद को स्वीकार किया जाकर विभाजन हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 13 तादादी 10.1200 हैक्टेयर रोही मौजा जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के यहा रहन दर्ज है जिसके रहन मुक्त होने के पश्चात निर्णय की पालना सुनिश्चत की जावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 11:34:11 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

1. गणेशाराम पुत्र जीवणराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गा बास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

1. दयानन्द **2.** राजेन्द्र कुमार **3.** विजय कुमार पुत्रगण मालाराम जातियान मेघवाल निवासी फरटिया केहर तहसील लुहारू जिला भिवानी राज्य हरियाणा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
5. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

दावा बाबत विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 60/2021
निर्णय दिनांक 19.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पंवार प्रतिवादी संख्या 1 ता 03 की ओर से अधिवक्ता जगदीश बाना प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता राजूराम जाखड मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 13 तादादी 10.1200 हैक्टेयर रोही मौजा जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के यहा रहन दर्ज है जिसके रहन मुक्त होने के पश्चात निर्णय की पालना सुनिश्चत की जावें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 19 माह 01 सन् 2023 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0		0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 11:34:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते